

झारखण्ड उच्च न्यायालय, राँची
सी0एम0पी0 संख्या-103/2019

नासूर मियाँ एवं अन्य याचिकाकर्तागण
बनाम्
झारखण्ड राज्य एवं अन्य विपक्षी पार्टियाँ

कोरम: माननीय न्यायमूर्ति श्री राजेश शंकर

याचिकाकर्ताओं के लिए : श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, अधिवक्ता।
राज्य की ओर से : श्री विनीत प्रकाश, एस0सी0 (एल एंड सी)-1 के ए0सी0।

आदेश संख्या 04

दिनांक 22.11.2019

कार्यालय द्वारा बताये गये त्रुटियों के मद्देनजर श्री राजेंद्र प्रसाद गुप्ता, याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता, नए सिरे से मुकदमा दाखिल करने की स्वतंत्रता के साथ वर्तमान सी0 एम0 पी0 को वापस लेने की अनुमति चाहते हैं।

अनुमति दी जाती है।

वर्तमान सी0 एम0 पी0 के पूर्वोक्त स्वतंत्रता के साथ वापस लेने के कारण खारिज किया जाता है।

(राजेश शंकर, जे0)